

सं. 41015/1/2014-बीसी-1  
भारत सरकार  
सूचना और प्रसारण मंत्रालय  
'ए' विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110001

दिनांक 26 जून, 2014

सेवा में,

सभी टीवी चैनल

विषय : टीवी चैनलों पर प्रसारित "जैतून तारा खाद्य तेल" के विज्ञापन के खिलाफ शिकायत

महोदय/महोदया,

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के संज्ञान में यह लाया गया है कि एक चैनल ने दिनांक 23 अप्रैल, 2013 को 22:30 बजे "जैतून तारा खाद्य तेल" से संबंधित एक विज्ञापन प्रसारित किया था। विज्ञापन में ये दावा किया गया है कि खाद्य तेल कैंसर, मधुमेह, अम्लता कोलेस्ट्रॉल आदि से बचाता है। जो विज्ञापन संहिता के नियम 7(5) का उल्लंघन है

2. भारतीय विज्ञापन मानक परिषद (एएससीआई) की उपभोक्ता शिकायत परिषद (सीसीसी) ने अपनी बैठक में इस मुद्दे को उठाया और निष्कर्ष निकाला कि यह दावा कि "खाद्य तेल कैंसर, मधुमेह, अम्लता, कोलेस्ट्रॉल आदि को रोकता है, प्रमाणित नहीं था और भ्रमक था। आगे यह भी कहा गया कि खाद्य तेल के सेवन से कैंसर, मधुमेह की रोकथाम के बारे में दावा करना कानून का उल्लंघन है क्योंकि यह ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज अधिनियम का उल्लंघन है। विज्ञापन ने विज्ञापन में स्व-विनियमन के लिए एएससीआई कोड के अध्याय 1.1, 1.4 और III 4 का भी उल्लंघन किया है।

3. तदनुसार, शिकायत को एएससीआई की उपभोक्ता शिकायत परिषद द्वारा सही ठहराया गया। विज्ञापनदाता को 26 सितंबर, 2013 तक एएससीआई के निर्णय का अनुपालन करने के लिए कहा गया था। एएससीआई ने अब अपने दिनांक 3 फरवरी, 2014 के पत्र के माध्यम से रिपोर्ट दी है कि विज्ञापनदाता द्वारा सीसीसी के निर्णय का अनुपालन नहीं किया गया था। विज्ञापनदाता द्वारा एएससीआई के निर्णय का उल्लंघन केवल टीवी नेटवर्क अधिनियम के नियम 7 (9) का उल्लंघन करता है जो विशेष रूप से कहता है कि "कोई भी विज्ञापन जो भारत में सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए भारतीय विज्ञापन मानक परिषद (एएससीआई), मुंबई द्वारा अपनाए गए विज्ञापन के स्व-विनियमन के लिए कोड का उल्लंघन करता है, उन्हें केवल सेवा में शामिल नहीं किया जाएगा" ।

3. उपरोक्त के मद्देनजर, सभी टीवी चैनलों को सलाह दी जाती है कि वे अपने संबंधित चैनल पर अभी से उक्त विज्ञापन न दिखाएं और उपरोक्त नियमों और विज्ञापन संहिताओं का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें।

भवदीया

हस्ता./-

(नीति सरकार)

निदेशक (बीसी)

दूरभाष #2338 6536

आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रतिलिपि:

1. श्री केवीएल नारायणराव, अध्यक्ष, न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन (एनबीए), एमई-5, साह विकास अपार्टमेंट, 68 पटपड़गंज, दिल्ली-110092।

2. श्री मान जीत सिंह अध्यक्ष, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन (आईबीएफ) बी-304, तृतीय तल, अंसल प्लाजा, खेलगांव मार्ग, नई दिल्ली-110049।

प्रतिलिपि सूचनार्थ:

1. सुश्री श्वेता पुरंदरे, महासचिव, एएससीआई, 219 बॉम्बे मार्केट, 78, ताडदेव रोड, मुंबई-400034 को दिनांक 03.02.2014 के पत्र के संदर्भ में

हस्ता./-

[नीति सरकार]

निदेशक (बीसी)

दूरभाष: 2338 6536